73

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त, 1994 (भाद्र 3, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष समाप्ति दिनांक 30 जून, 1987 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ आई.एम.पी. वर्मा, श्री डाऊराम रत्नाकर, श्री बच्चन नायक, सदस्य, सागर जिले के ग्राम रेनुगवां निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, सदस्य, मन्दसौर जिले के नारिया निवासी एक व्यक्ति का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जसवंत सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के षष्ठम् प्रतिवेदन से सहमत है ".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. गोविन्द सिंह सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम पर्रायच में सिंचाई हेतु केनाल का निर्माण,
(ख) ग्राम पडरी में कनिष्ठ शाला खोलने,
(ग) ग्राम-रौनी में नवीन शाला भवन निर्माण,
(घ) ग्राम अरूसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(ङ.) ग्राम चांदोख में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल खनन,
(च) ग्राम अरूसी में पशु चिकित्सालय खोलने,
(छ) ग्राम खुन्जा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(ज) ग्राम खुन्जा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय खोलने,
(झ) ग्राम दमरा में शाला भवन का निर्माण,
(ञ) ग्राम रोहानी जागीर में मिडिल स्कूल खोलने,
(ट) ग्राम मटेला में कनिष्ठ शाला खोलने, तथा
(ठ) ग्राम केमरा में शाला भवन का निर्माण,

(2) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के -

(क) ग्राम जवासिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने,
(ख) ग्राम जवासिया को आलोट सड़क मार्ग से जोड़ने, तथा

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पड़रई में हाईस्कूल खोलने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती जमुना देवी, समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 26 सन् 1994) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में हैजा, आंत्रशोथ एवं मस्तिष्क ज्वर से हो रही जनहानि के संबंध में सर्वश्री रविन्द्र चौबे, बच्चन नायक, रामेश्वर अखण्ड, डॉ गोविन्द सिंह, श्री रामलखन शर्मा, ठा. मोहर सिंह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री गोविन्द मिश्र, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा तथा श्री नेमीचन्द जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 पर चर्चा.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 अगस्त, 1994